न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00127

1. लटूर लाल आत्मज श्री घांसी लाल जाति बैरवा निवासी गुंजारा तहसील कनवास जिला कोटा ।
2. सत्यनारायण आत्मज स्व0 श्री रामलाल जी उर्फ गंगा जी जाति बैरवा निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामचन्द्री बाई बेवा बेजनाथ जाति बेरवा निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 12.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम धूलेट में कुल 03 किता की रकबा 2.19 हैक्टर भूमि स्थित है । श्रीराम जी के दो पुत्र रामलाल व बैजनाथ हुए । घांसी के मात्र एक पुत्री रामनाथी पैदा हुई इसलिए घांसी ने श्रीराम से उसके पुत्र बैजनाथ को गोद ले लिया । बैजनाथ के घांसी के यहॉ दत्तक चले जाने से कानूनन उसका अपने प्राकृतिक पिता के यहॉ समस्त अधिकार समाप्त हो

गये तथा दत्तक पिता के यहॉ समस्त अधिकार उत्पन्न हो गये । बैजनाथ का अपने प्राकृतिक पिता श्रीराम की सम्पत्ति में कानूनन कोई हक नहीं था फिर भी श्रीराम जी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना विरासतन इंतकाल में नाम दर्ज करा लिया तथा अपना 1/2 हिस्सा पृथक करवा लिया जो आज भी वर्तमान में दर्ज रिकॉर्ड है । जो रामलाल के हितों पर तथा रामलाल के एकमात्र पुत्र वादी कम 02 के हितों पर कुठाराघात है । बैजनाथ के दत्तक पिता घांसी जी जब फौत हुए तो उनका भी फोती इंतकाल संख्या 757 से दिनांक 10.06.1992 को उनके दत्तक पुत्र बैजनाथ व पुत्री रामनाथी बाई के नाम तस्दीक हआ परन्तु बैजनाथ ने हल्का पटवारी से मिली भगत करके जमाबन्दी में रामनाथी बाई के स्थान पर अपनी पत्नी रामचन्द्री बाई का नाम दर्ज करवा लिया जो अवैध है । प्रतिवादी कम 01 द्वारा आराजी अपने खाते दर्ज कराकर खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने पर वादीगण प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण रहन, बेचान, खुर्द–बुर्द नहीं करें एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.11.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2019 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया कि घांसी जी के कोई पुत्र नहीं होने से घांसी एवं उनकी पत्नी ने रामलाल जी एवं उनकी पत्नी से रामलाल के जीवनकाल में ही उनके पुत्र बैजनाथ को बचपन में ही गोद ले लिया था । बैजनाथ जी के दत्तक पिता के फोत होने पर उनका फोती नामान्तरकरण गोदपुत्र बैजनाथ पुत्री रामनाथी बाई के नाम संभाग से दर्ज किया गया परन्तु बैजनाथ ने पटवारी हल्का से मिलकर गैर कानूनी रूप से रामनाथी पुत्री घांसी के स्थान पर अपनी पत्नी रामचन्द्री का नाम दर्ज करवा लिया । घांसी जी की पुत्री होने से रामनाथी घांसी जी के हिस्से की भूमि में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी है । रामनाथी बाई की मृत्यु हो जाने से उसके हिस्से की भूमि प्राप्त करने का उसका पुत्र वादी अपीलान्ट कम 01 लटूरलाल प्राप्त करने का अधिकारी है । बैजनाथ को श्रीराम की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं हैं फिर भी श्रीराम की सम्पति में अपना हिस्सा दर्ज करवा लिया है जो कि अपीलान्ट कम 02 प्राप्त करने का अधिकारी है । वादीगण अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज है । प्रतिवादी कम 1 का उक्त आराजी पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई हित–निहित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु वकील साहब नियुक्त किये थे वकील साहब ने हर तारीख पेशी पर वादीगण को न्यायालय में आने के लिए मना कर दिया तथा निर्णय होने पर अथवा आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए कहा परन्तु उनके अभिभाषक द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई । अपीलान्ट क्रम 02 दिनांक 14.09.2020 को वकील साहब से पास तारीख मालूम करने गया तो उनके द्वारा उक्त निर्णय की जानकारी दी गई । अपीलान्ट को 14.09.2020 से पूर्व उक्त अपीलाधी निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.09.2020 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 15.09.2020 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट ने धारा 05 मियाद अधिनियम का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2019 को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट के अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया कनवास तथा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के वकील रेवती रमण नागर भी बहस सुनवाई कर दोनों पक्षों की पूर्ण जानकारी में पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा करीब 10 माह बाद दिनांक 14.09.2020 को बनाबटी एवं मिथ्या रूप से जानकारी होनाब ताकर दिनांक 17.09.2020 को उक्त अपील अवधि बाहर प्रस्तुत की गई है । धारा 05 के प्रार्थना पत्र में अंकित कारण के समर्थन में अपीलान्ट के वकील का भी शपथ पत्र प्रस्तुत न होने से उक्त प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं असत्य कथन पर आधारित होने से खारिज होने योग्य है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का खारिज फरमाया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अपीलान्टगण रिकॉर्डेड खातेदार नहीं होने के आधार पर और कब्जे का कोई प्रमाण नहीं होना मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । रामजी के 02 पुत्र हुए रामलाल और बैजनाथ । रामजी के सगे भाई घांसी जी थे । घांसी जी के कोई पुत्र नहीं होने से घांसी जी एवं उनकी पत्नी ने बैजनाथ को गोद लिया । घांसी के फौत हो जाने पर उनका फोती इंतकाल बैजनाथ और पुत्री रामनाथी बाई के नाम संभाग से दर्ज किया गया था परन्तु बैजनाथ ने पटवारी हल्का से मिलकर रामनाथी बाई के स्थान पर अपनी पत्नी रामचन्द्री बाई का नाम दर्ज करवा लिया । घांसी जी की पुत्री होने के नाते रामनाथी बाई का उसमें 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है । वादी अपीलान्ट लटूर लाल रामनाथी बाई का पुत्र है और वादी अपीलान्ट क्रम 02 सत्यनारायण के पिता रामलाल हैं । श्रीराम की मृत्यु हो जाने पर बैजनाथ ने गलत रूप से रामलाल के साथ अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि वो घांसी के गोद गया था । रामलाल की आराजी अपीलान्ट क्रम 02 के खाते में दर्ज होना चाहिए । बैजनाथ की मृत्यु हो चुकी है,

रेस्पोडेन्ट कम 01 अपना नाम दर्ज कराने पर आमादा है और भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.11.2019 निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट रामनाथी बाई घांसी ली के भाई घांसी जी की पुत्री है । घांसी जी लाऔलाद थे उनके कोई संतान नहीं थी । सत्यनारायण के पिता रामलाल ने उक्त वर्णित आराजियात को लेकर न्यायालय में एक दावा रामलाल बनाम बैजनाथ के नाम से पेश किया था जो जैरकार है । उसमें वादी रामलाल के फौत हो जाने पर सत्यनारायण कायममुकामान है । अप्रार्थिया बैजनाथ की पत्नी है सम्पूर्ण आराजी उनके कब्जे काश्त में है और आजिविका का एक मात्र साधन यह आराजी है । घांसी की आराजी में बैजनाथ का नाम दर्ज होना चाहिए था । रामचन्द्री बाई का नाम गलत दर्ज हुआ है । बैजनाथ की मृत्यु हो जाने पर समस्त आराजी की तन्हा खातेदार दर्ज होने की रामचन्द्री अधिकारी है । लटूर लाल का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । रामलाल के खाते की कुल आराजी सत्यनारायण ने रतनेश के खाते दर्ज करवा ली थी । खसरा नम्बर 159 की 13 बीघा 10 बिस्वा आराजी बैजनाथ की स्वअर्जित है जिसे प्राप्त करने का अपीलान्टगण को कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा कुछ दस्तावेजात पेश किये गये है जों इस प्रकार से हैं फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 757 संलग्न है जिसके अनुसार घांसी के तन्हा खाते में दर्ज आराजी के लिए नामान्तरकरण स्वीकृत करने का उल्लेख है और जो उपर पारिवारिक शजरा बना हुआ है उसमें घांसी के बैजनाथ पुत्र और पुत्री रामनाथी बाई बताये गये हैं । नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 86 के अनुसार घांसी पुत्र सीताराम के खाते में कुल 03 किता की 20 बीघा 09 बिस्वा आराजी दर्ज है और उसमें नामान्तरकरण संख्या 757 का नोट अंकित है जिसके अनुसार घांसी के स्थान पर बैजनाथ पुत्र श्रीराम और रामचन्द्री बाई पत्नी बैजनाथ के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 247 के अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 03 किता की 20 बीघा 09 बिस्वा बैजनाथ पुत्र घांसी और रामचन्द्री पत्नी बैजनाथ के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार बैजनाथ एवं रामचन्द्री बाई हाल खसरा नम्बर 742, 743 एवं 1367 के खातेदार दर्ज हैं । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 180 भी संलग्न है जिसमें बैजनाथ खसरा नम्बर 158 की 13 बीघा

10 बिस्वा पर तन्हा खातेदार दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसा बैजनाथ नये खसरा नम्बर 706, 711 और 712 का तन्हा खातेदार दर्ज है । फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 247 मिन के हाल खसरा नम्बर 742 और 743 कायम किये गये हैं । साबिक खसरा नम्बर 236 मिन के हाल खसरा नम्बर 805 और 806 कायम किये गये हैं । साबिक खसरा नम्बर 343 के हाल खसरा नम्बर 1363 कायम किये गये हैं । फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल संवत् 2058–66 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 158 मिन के हाल खसरा नम्बर 706, 711 और 712 कायम किये गये हैं ।

14. अपील में कुछ दस्तावेजात रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किये गये हैं । उक्त दस्तावेजात में नामान्तरकरण संख्या 757 की फोटो प्रति घांसी पुत्री सीताराम के खाते की नकल जमाबन्दी संवत् 2046–49, नकल जमाबन्दी संवत् 2050–53, नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 221, नकल जमाबन्दी संवत् 2042–45 नया खाता संख्या 180, नकल जमाबन्दी संवत् 2070––3 नया खाता संख्या 222, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2058–66 की फोटो प्रतियॉ पेश की गई हैं ।

15. रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 757 दिनांक 10.11.2012 में गोदपुत्र बैजनाथ के साथ उनकी पत्नी रामचन्द्री बाई का नाम गलत दर्ज हुआ है परन्तु बैजनाथ की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति में रामचन्द्री बाई तन्हा खातेदार दर्ज होने की अधिकारी है । लटूर लाल पुत्र घांसी का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । सत्यनारायण पुत्र रामलाल ने रामलाल की मृत्यु हो जाने पर रामलाल के खाते की कुल भूमि रतनेश पुत्र सत्यनारायण के खाते में दर्ज करवा कर कपटपूर्वक रूप से बैजनाथ के द्वारा स्वअर्जित की गई भूमि आराजी खसरा नम्बर 159 की रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 706, 711 और 712 बने हैं को पैतृक बताकर यह दावा एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है । बैजनाथ की स्वअर्जित आराजी से अपीलान्टगण का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

16. रेस्पोडेन्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ कुछ दस्तावेजात पेश किये हैं। इन दस्तावेजात में नामान्तरकरण संख्या 436 की फोटो प्रति है जिसके अनुसार घांसी धाकड की आराजी बैजनाथ के खाते में दर्ज करने का आदेश हुआ है यह नामान्तरकरण सन् 1981 का है ओर उसमें भूमि बैजनाथ के द्वारा क्रय करने का जिक्र है । नया खाता संख्या 180 में खसरा नम्बर 158 की आराजी बैजनाथ के खाते में दर्ज की गई है । फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल पेश किया है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 158 मिन के हाल खसरा नम्बर 706 और 711 एवं 712 कायम किये गये हैं । फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 757 पेश किया है जो घांसी की मृत्यु हो जाने के बाद खोला गया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2046–49 मिलान क्षेत्रफल, सरपंच के द्वारा सीताराम का वंशवृक्ष बताया बया है उसकी फोटो प्रति और रामलाल के द्वारा बैजनाथ के खिलाफ जो दावा हक घोषणा का पेश किया गया है उसकी फोटो प्रति पेश की है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 112 पेश किया है ।

17. अपीलान्ट के द्वारा इस प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर यह कथन किया है कि दस्तावेजात इस प्रकरण के निस्तारण के लिए सुसंगत नहीं है है । वंशवृक्ष को प्रमाणित करने का सरपंच को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

18. उक्त अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के खिलाफ पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में भी फोटो प्रति नकल जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल एवं नामान्तकरण पेश की गई हैं । ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट के द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ नामान्तरकरण संख्या 436 की फोटो प्रति, नकल जमाबनदी नया खसरा 180 की फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल संवत् 2058–66 की फोटो प्रति, नामान्तरकरण संख्या 757 एवं फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2040–43 पेश की गई हैं एवं दावे की फोटो प्रति और फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 112 की पेश की गई है उसे रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है और पंचायत के द्वारा जो वंशवृक्ष को प्रमाणित किया गया है वो राजस्व रिकॉर्ड एवं किसी न्यायालय के निर्णय की प्रति नहीं है और इसके रिबटल में साक्ष्य पेश करने का अपीलान्ट को अवसर अपील में प्रदान नहीं किया जा सकता न ही अपीलीय न्यायालय में सरपंच को साक्ष्य में बुलाया जा सकता है । इस प्रकार इस प्रार्थना को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है व जो सरपंच के द्वारा वंशवृक्ष को प्रमाणित किया गया है उसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता है ।

19. रेस्पोडेन्ट के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 436 की जो फोटो प्रति पेश की गई है उसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 158 की 13 बीघा 10 बिस्वा आराजी बैजनाथ की स्वअर्जित है जिसमें अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया कोई अधिकार प्रतीत नहीं होता है । शेष आराजी जो कि घांसीलाल के खाते से बैजनाथ एवं रामचन्द्री बाई के खाते में आई है उसके बाबत् अपीलान्टगण का यह कथन है कि रामनाथी बाई, घांसी बाई की पुत्री है और नामान्तरकरण संख्या 757 पर अंकित शजरे में रामनाथी बाई को पुत्री के रूप में अंकित किया गया है । यद्यपि रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि रमानाथी बाई घांसी की पुत्री नहीं थी । रामनाथी बाई घांसी लाल की पुत्री है अथवा नहीं यह मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगा इस स्टेज पर नहीं । वैसे भी खसरा नम्बर 742, 743 और 1367 कुल 03 किता की 2.88 हैक्टर आराजी में बैजनाथ के साथ रामचन्द्री बाई का नाम गलत दर्ज किया गया है । रामनाथी बाई को घांसी की पुत्री बताते हुए अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । यद्यपि पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर हम पक्षकारान के अधिकार व स्वत्व सुरक्षित रखने हेतु हाल खसरा नम्बर 742, 743 एवं 1367 कुल 03 किता की 2.88 हैक्टर आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्टगण को रहन, बेचान नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलान्ट पूर्णतया खारिज करने में त्रुटि की है ।

20. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2019 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि नया खाता संख्या 221 खसरा नम्बर 742 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 743 रकबा 2.52 हैक्टर और खसरा संख्या 1367 रकबा 0.16 हैक्टर कुल 03 किता की 2.88 हैक्टर को ताफैसला वाद बेचान एवं अन्यथा

खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं रेस्पोडेन्टगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

21. निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा